# अंतर्राष्ट्रीय आगंतुक स्वास्थ्य कवर

## अंतर्राष्ट्रीय आगंतुक स्वास्थ्य कवर

यदि आप विदेश से आ रहे/रही हैं, तो सामान्य रूप से आपको चिकित्सा या अस्पताल के खर्चों के लिए ऑस्ट्रेलिया की सार्वजनिक मेडिकेयर प्रणाली के तहत शामिल नहीं किया जाएगा। यदि आप एक Temporary Skill Shortage (TSS) वीज़ा आवेदक या एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र/छात्रा हैं, तो आपको एक विशिष्ट स्तर का स्वास्थ्य बीमा लेना होगा जो आपकी वीज़ा की आवश्यकताओं को पूरा करे।

ऑस्ट्रेलियाई नागरिक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली मेडिकेयर का उपयोग करके अपनी चिकित्सा और अस्पताल के खर्चों को कवर कर सकते हैं। इनके विपरीत जो अंतर्राष्ट्रीय आगंतुक अस्थायी वीज़ा धारक हैं, वे सामान्यत: मेडिकेयर का उपयोग करने के लिए पात्र नहीं होते हैं।

यूनाइटेड किंगडम, स्वीडन, बेल्जियम, फिनलैंड, इटली, माल्टा, नेदरलैंड्स, स्लोवीनिया, आयरलैंड गणराज्य, नॉर्वे और न्यू ज़ीलैंड से आने वाले अंतर्राष्ट्रीय आगंतुकों को ऑस्ट्रेलिया के साथ एक पारस्परिक स्वास्थ्य देखभाल (reciprocal health care) व्यवस्था उपलब्ध होती है। इस व्यवस्था के तहत उन्हें सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में नि:शुल्क आपातकालीन उपचार प्राप्त हो सकता है, जिसके लिए वे अन्यथा हकदार नहीं होते हैं।

इसका अर्थ यह है कि यदि आपको ऑस्ट्रेलिया में चिकित्सीय उपचार की आवश्यकता पड़ती है, तो आपको काफी हद तक स्वयं अपना खर्चा देना पड़ सकता है। यहाँ तक कि एक सार्वजनिक अस्पताल में भी मात्र अस्पताल की फीस के लिए आपको $1,000 प्रतिदिन से अधिक का खर्चा देना पड़ सकता है। स्वास्थ्य कवर के बिना अपने उपचार का पूरा खर्चा वहन करने की जिम्मेदारी आपके ऊपर पड़ सकती है।

यदि आप अपनी मेडिकेयर पात्रता की स्थिति के बारे में अनिश्चित हैं, तो आपको अपने स्थानीय मेडिकेयर कार्यालय से इसके बारे में जांच करनी चाहिए या Department of Human Services—Medicare से संपर्क करना चाहिए।

यदि आपकी वीज़ा की स्थिति या मेडिकेयर पात्रता में किसी भी समय कोई परिवर्तन होता है, तो अपने बीमाकर्ता को जल्दी से जल्दी सूचित करके यह पता करें कि क्या आपके कवर का स्तर अभी भी उपयुक्त है या नहीं।


**हमसे संपर्क करें**

**ombudsman.gov.au**
**1300 362 072**

GPO Box 442
Canberra ACT 2601


**हमारे कार्यालय इन नगरों में स्थित हैं:**

- **एडिलेड**
- **ब्रिस्बेन**
- **कैनबरा**
- **मेलबर्न**
- **पर्थ**
- **सिडनी**

## ओवीएचसी के तहत क्या कवर किया जाता है?

प्रत्येक ओवीएचसी नीति शुल्क, पात्रता और लाभों के अनुसार अलग-अलग होगी। परंतु अधिकाँश नीतियों में आपको अस्पताल में चिकित्सीय रूप से आवश्यक प्रवेश के लिए और डॉक्टर की फीस के एक हिस्से के लिए कवर प्राप्त होना चाहिए।

अस्पताल और चिकित्सा के खर्चों के कवर के अतिरिक्त आप सामान्य उपचार (General Treatment) कवर भी खरीद सकते/सकती हैं। सामान्य उपचार कवर डेंटिस्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट जैसे निजी स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं की सेवाओं के लिए लाभ उपलब्ध कराता है। आपका बीमा इन शुल्कों के कुछ हिस्से को कवर कर सकता है, लेकिन आपको फिर भी बाकी की फीस को स्वयं ही कवर करना होगा।

अधिकाँश अंतर्राष्ट्रीय आगंतुक स्वास्थ्य कवर उत्पादों में दवाइयों के लिए सीमित कवर ही उपलब्ध होता है। यदि अंतर्राष्ट्रीय आगंतुकों को दवाइयों के साथ उपचार की आवश्यकता पड़ती है, तो उन्हें काफी अधिक आउट-ऑफ-पॉकेट शुल्क देना पड़ सकता है, विशेष रूप से कैंसर के उपचार के लिए।

ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश करने वाले आगंतुक तत्काल उपयोग के लिए दवाइयाँ और चिकित्सीय उपकरण अपने साथ ला सकते हैं और व्यक्तिगत उपयोग के लिए उन्हें छोटी मात्रा में आयात करने की अनुमति भी दी जा सकती है। और अधिक जानकारी के लिए Therapeutic Goods Administration की वेबसाइट—Entering Australia and Personal Importation Scheme पर जाएँ।

कवर खरीदते समय सावधानी बरतें क्योंकि कुछ योजनाओं के लिए कम लाभ उपलब्ध होंगे या कुछ प्रकार के उपचारों के लिए कोई भी लाभ उपलब्ध नहीं होगा और प्रतीक्षा अवधियाँ अलग-अलग हो सकती है—कुछ नीतियाँ पूर्ववर्ती (pre-existing) रोगों को स्थायी रूप से कवर किए जाने के लिए अपवाद स्वरूप मान सकती हैं, जिसका अर्थ यह है कि ऐसे रोगों को कभी भी कवर नहीं किया जा सकता है। कवर खरीदने के दौरान आपको क्या बातें देखनी चाहिए, इसके बारे में और अधिक जानकारी के लिए आगंतुकों के लिए स्वास्थ्य बीमा के बारे में सुझाव देखें।

यात्रा बीमा आपको ऐसी चीजों के लिए कवर कर सकता है जो आगंतुक कवर में शामिल नहीं होती हैं, जैसे यात्रा के दौरान प्रयोग की जाने वस्तुओं की हानि और चिकित्सीय आपातकालीन स्थिति में अपने देश वापिस जाना।

जीवनपर्यंत स्वास्थ्य कवर (Lifetime Health Cover) और निजी स्वास्थ्य बीमा छूट विदेशी आगंतुकों के स्वास्थ्य कवर के लिए लागू नहीं होते हैं। विदेशी आगंतुकों द्वारा स्वास्थ्य कवर खरीदने के शुल्क पर माल और सेवा कर (जीएसटी) [Goods and Services Tax (GST)] लागू होता है।

## मैं ओवीएचसी कहाँ से खरीद सकता/सकती हूँ?

कुछ स्वास्थ्य निधियों और ऑस्ट्रेलिया में स्थित कुछ सामान्य बीमाकर्ताओं से आप ऑस्ट्रेलिया में आने वाले आगंतुकों के लिए कवर खरीद सकते/सकती हैं। आप अन्य देशों में जारी की गई बीमा नीतियों द्वारा कवर किए जाने का विकल्प भी चुन सकते/सकती हैं। याद रखें कि यदि आपके पास TSS वीज़ा, 457 वीज़ा, 485 वीज़ा या छात्र वीज़ा है, तो आपके लिए अपने वीज़ा की शर्तों द्वारा निर्दिष्ट किए गए प्रकार और स्तर का स्वास्थ्य बीमा खरीदना आवश्यक होगा।

आगंतुकों के लिए बीमा कवर का पता लगाने के लिए इंटरनेट एक अच्छा माध्यम है। हम यह सलाह देते हैं कि आप खोज इंजन में "Overseas Visitors Insurance" या "Overseas Visitors Health Cover" प्रवेश करके खोज करें और कम से कम तीन प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली नीतियों की आपस में तुलना करें।

## मेडिकेयर लेवी सर्चार्ज (Medicare Levy Surcharge) आपके लिए आवश्यक स्वास्थ्य बीमा के प्रकार को कैसे प्रभावित कर सकता है?

यदि:

- आपकी आय अधिक है (वित्तीय वर्ष 2017-18 में एकल व्यक्ति के रूप में $90,000 से अधिक अथवा दम्पति या परिवार के रूप में $180,000 से अधिक),
- अपको कर उद्देश्यों के लिए ऑस्ट्रेलिया का निवासी माना जाता है, या
- आपने मेडिकेयर में सफलतापूर्वक नामांकन कराया है (किसी भी स्तर के लाभों के लिए—पारस्परिक, अंतरिम, या संपूर्ण),

तो आपके ऊपर मेडिकेयर लेवी सर्चार्ज का प्रभाव पड़ सकता हैं। सर्चार्ज के बारे में और सर्चार्ज से छूट देने वाली स्वास्थ्य बीमा नीति के प्रकार के बारे में और अधिक जानकारी के लिए कृपया मेडिकेयर लेवी सर्चार्ज (Medicare Levy Surcharge) देखें।

और अधिक जानकारी वेबसाइट **ombudsman.gov.au** पर उपलब्ध है।

कृपया ध्यान दें: इस प्रपत्र का उद्देश्य केवल एक निर्देशिका के रूप में मार्गदर्शन करना है। इसलिए व्यक्तिगत मामलों में इस जानकारी पर कानूनी सलाह के रूप में या कानूनी सलाह के एक विकल्प के रूप में निर्भर नहीं किया जाना चाहिए। राष्ट्रमंडल लोकपाल कानून द्वारा अनुमत अधिकतम सीमा तक इस प्रपत्र पर निर्भरता के परिणामस्वरूप आपको होने वाली किसी भी हानि या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। उद्धृत अधिनियमों के सबसे अद्यतित संस्करणों के लिए कृपया Federal Register of Legislation देखें।